



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-594

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 313241 दिनांक 08/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Narayan Lal Ninawat S/o LATE DAULAT RAM	श्री राजेश जैन पुत्र श्री महावीर कुमार जैन	265	252.00 SQ. METER	JDA	RAM NAGARIYA Sector/Block-A	Name Transfer	आवेदक श्री नारायण लाल निनावत पुत्र श्री दौलत राम निनावत द्वारा जविप्रा की योजना राम नगरिया के भूखण्ड संख्या ए-265 क्षेत्रफल 252 व.मी. के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड संख्या ए-265 क्षेत्रफल 252 व.मी. की लीजडीड दिनांक 12.01.2001 को श्री राजेश जैन पुत्र श्री महावीर कुमार जैन के पक्ष में जारी की गई हैं। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या ए-265 क्षेत्रफल 252 व.मी. को श्री राजेश जैन पुत्र श्री महावीर कुमार जैन द्वारा जरिये पंजीकृत मुखत्यारनामा



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

							आम दिनांक 04.01.2005 को श्री कन्हैया लाल गुप्ता पुत्र श्री कालू राम गुप्ता को मुखत्यारनामा आम किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या ए-265 क्षेत्रफल 252 व.मी. को श्री कन्हैया लाल गुप्ता पुत्र श्री कालू राम गुप्ता द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.03.2005 को श्री मोहनलाल आमेरिया पुत्र श्री कन्हैयालाल को बेचान किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या ए-265 क्षेत्रफल 252 व.मी. को श्री मोहनलाल आमेरिया पुत्र श्री कन्हैयालाल द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.07.2026 को श्री नारायण लाल निनावत पुत्र श्री दौलत राम निनावत को बेचान किया गया।
--	--	--	--	--	--	--	--

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Narayan Lal Ninawat S/o LATE DAULAT RAM को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।